

रिपोर्ट करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय

अपीलीय न्यायपालिका

सिविल अपील NO.3897 / 2023

(एसएलपी(सी) सं. 15708 का 2022 से उद्भूत।)

टाटा मोटर्स लिमिटेड।

अपीलार्थी(गण)

बनाम

बृहन मुंबई विधायुत आपूर्ति और परिवहन
समझना (सर्वश्रेष्ठ) और अन्य

प्रतिवादी

के साथ

दीवानी याचिका सं 3899 /2023

(एसएल पी (सी) संख्या 11871 /2022 से उद्भूत)

सिविल अपील NO.3898 / 2023

(एसएलपी (सी) संख्या 11933 / 2022 से उद्भूत)

निर्णय

जे. बी. पारदीवाला, जे.:

1. अवधि अनुदत्त ।

2 चूंकि सभी शीर्षक वाली अपीलों में उठाए गए मुद्दे सामान्य हैं और चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिका (एल) संख्या 15548 की 2022 दिनांक 05.07.2022 द्वारा पारित स्वयं के आदेश के लिए भी है। समान रूप से सुनवाई के लिए लिया गया था और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. एसएलपी(सी) संख्या नंबर 15708 की 2022 से उत्पन्न अपील टाटा मोटर्स लिमिटेड (संक्षेप में, "टाटा मोटर्स") (उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता) के कहने पर है।

4. एसएलपी (सी) संख्या 11871 की 2022 से उत्पन्न अपील ईवीईवाई ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, "ईवीईवाई") (उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रतिवादी संख्या 2) के कहने पर है।

5. एसएलपी (सी) संख्या नंबर 11933 के 2022 से उत्पन्न होने वाली अपील बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम (संक्षेप में, "बेस्ट") (उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रतिवादी संख्या 1) के कहने पर है, जो मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के प्रावधानों से काम करने वाला एक वैधानिक निगम है।

फैक्ट मैट्रिक्स

6. बेस्ट ने एक निविदा जारी की जिसमें सं. नंबर डीएमएम(टी-II)/08/टीसीयू/73169/2021-2022/एड. दिनांक 26.02.2022 को 12 वर्षों की अवधि के लिए बेस्ट डिपो में अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ मुंबई शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन सेवा के उद्देश्य से चालक के साथ 1400 (+ 50 प्रतिशत भिन्नता) सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए (इसके बाद 'निविदा' के रूप में संदर्भित)।

7. निविदा दस्तावेज अनुसूची IX की धारा 2 के खंड 3.5 (ई) और खंड 12 से निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों के लिए प्रदान किया गया था, जिसका बोलीदाताओं को एकल डेकर बस प्रदान करने की आवश्यकता थी जो 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी की खपत के साथ वातानुकूलन के साथ प्रासंगिक सकल वाहन वजन (जीवीडब्ल्यू) के लिए वास्तविक परिस्थितियों में बिना किसी रुकावट के एकल चार्ज में 200 किमी चल सकता है। खंड 3.5 (ई) और खंड 12 क्रमशः यहाँ पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

अनुसूची IX

तकनीकी विशिष्टताएँ

..

खंड 2: वेट लीज योजना से एसडी एसी इलेक्ट्रिक बसों के तकनीकी विवरण

..

सीरीअल संख्या	वर्णन	विशिष्टताएँ
------------------	-------	-------------

3. 5	विद्युत प्रणोदन प्रणाली	विद्युत प्रणोदन प्रणाली मोटर रेटिंग / शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है:
(ई)	प्रति दिन प्रति बस न्यूनतम संचालन सीमा	एकल चार्ज में दी जाने वाली बसों का न्यूनतम संचालन किलोमीटर एसडी बसों के लिए क्रमशः 200 किलोमीटर (80 प्रतिशत एसओसी) होगा। इन प्रस्तावित बसों को बिना किसी रुकावट के उल्लिखित न्यूनतम किलोमीटर से ऊपर चलना चाहिए।
XXX XXX XXX		
12.	संचालन सीमा	वर्तमान में बेस्ट बसें औसतन लगभग 200 किलोमीटर प्रति दिन तक चलती हैं (ज्यादातर निर्बाध)। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ईवी निर्माताओं को ऐसे वाहन प्रदान करने होते हैं जो 200 किमी चल सकते हैं। वातानुकूलन के साथ प्रासंगिक जीवीडब्ल्यू के लिए वास्तविक परिस्थितियों में एसडी एसी बसों के लिए एकल शुल्क में। संचालन अनुसूची बेस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी और सफल बोलीदाता को पर्याप्त अतिरिक्त बसों के माध्यम द्वारा अनुसूची का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना होगा। यदि सफल बोलीदाता इसे बनाए रखने में असमर्थ है

		शुल्क लेने की कमी के लिए अनुसूचियों का निर्बाध संचालन, फिर बेस्ट प्रति दिन उस पूरे दिन के लिए सुनिश्चित किलोमीटर के लिए भुगतान न करके अतिरिक्त जुर्माना लगाकर उपयुक्त कार्रवाई करेगा और यदि मामला लंबे समय तक बार-बार होता रहता है तो बेस्ट अनुबंध को समाप्त करने का भी सहारा ले सकता है।"
--	--	---

8. ईवीईवाई और टाटा मोटर्स सहित बाजार की कुल आठ कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। 11.03.2022 पर आयोजित बोली-पूर्व बैठक में, टाटा मोटर्स ने अपने बोली-पूर्व बिंदु प्रस्तुत किए, जिसमें बिंदु 1 से उसने बेस्ट से अनुरोध किया कि वह एआईएस040/एफएमई- II के अनुसार दिन के संचालन और रेंज परीक्षण शर्तों के दौरान 75 मिनट के अवसर चार्जिंग समय के साथ प्रति दिन 200 किलोमीटर के लिए अपनी बोली पर विचार करे।

9. 15.03.2022 को, बेस्ट ने बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित किए। बेस्ट ने कुछ विनिर्देशों को संशोधित किया, यद्यपि टाटा मोटर्स द्वारा अनुरोध किए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। बेस्ट ने "वास्तविक परिस्थितियों में" के लिए एक विशिष्ट संदर्भ का विकल्प चुना और निविदा विनिर्देशों में "एआईएस 040" या "मानक शर्तों" के किसी भी संदर्भ को बाहर रखा। यह ध्यान देने योग्य है कि एआईएस 040 प्रमाणन मानक परीक्षण स्थितियों पर होगा न कि वास्तविक सड़क स्थितियों पर, जो यात्रियों के भार, तापमान, यातायात की स्थिति आदि के लिए जिम्मेदार होगा।

10. 27.04.2022 को बेस्ट ने शुद्धिपत्र संख्या 8 जारी किया, जिसमें निविदा के लिए बोलियां प्रस्तुतीकरण की समाप्ति 02.05.2022 और तकनीकी बोली खोलने की तिथि 04.05.2022 के रूप में निर्दिष्ट की गई थी।

11. टाटा मोटर्स ने अपनी बोली 25.04.2022 को जमा की, जिसमें उसने 80 प्रतिशत राज्य चार्ज के साथ 200 किलोमीटर की परिचालन सीमा की गारंटी दी, "एसओसी" (यानी एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने पर 20 प्रतिशत आरक्षित), यद्यपि वही था जो "एआईएस 040 के अनुसार मानक परीक्षण स्थितियों में" हासिल किया गया। यह निविदा विनिर्देशों से एक विचलन था।

12. ईवीईवाई ने 02.05.2022 पर अपनी बोली प्रस्तुत की, जिसमें दावा किया गया कि इसे निविदा शर्तों से किसी भी विचलन के बिना प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर की न्यूनतम परिचालन सीमा की शर्त भी शामिल है। ईवीईवाई ने दावा किया कि टाटा मोटर्स एकमात्र बोलीदाता थी, जिसने "वास्तविक सड़क स्थितियों" के बजाय "मानक परीक्षण शर्तों" का उल्लेख किया, जबकि यह कहते हुए कि यह न्यूनतम संचालन सीमा की निविदा मात्र आवश्यकता का अनुपालन करता है।

13. खंड 5.1.1 से तहत निविदा की अनुसूची II (बोलीदाताओं के लिए परिभाषाएँ और निर्देश) में बोली प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण का तरीका और प्रणाली प्रदान किया गया है। उक्त खंड में बोली के साथ कुछ अनुलग्नक प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया

था। विशेष रूप से, संलग्नक वाई, जो बसों के संचालन रेंज के लिए परिचालन उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा दिया जाने वाला एक वचन पत्र है, को बोली के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि मात्र सफल बोलीदाता द्वारा जमा करने की आवश्यकता थी। अनुसूची IX (तकनीकी विनिर्देश) और संलग्नक Y की खंड 2 के खंड 3.5 (ई) और खंड 12 के उपक्रमों का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि एकल शुल्क में 200 किलोमीटर की सीमा को पूरा करने की आवश्यकता पूरी हो गई है।

14. ईवीईवाई ने अपनी बोली दिनांक 02.05.2022 के साथ संलग्नक वाई प्रस्तुत किया, जिसमें ओईएम ने संचालन सीमा के लिए एक वचन दिया जिसमें एक तालिका शामिल थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि एकल डेकर बस के लिए संचालन सीमा 1 घंटे के अवसर चार्जिंग समय के साथ 200 किलोमीटर होगी। यही पहले की निविदा दिनांक 20.08.2021 के विनिर्देशों के अनुसार किया गया था, जिसने 60 मिनट के अवसर समय की अनुमति दी थी।

15. ईवीईवाई ने ईमेल दिनांकित 06.05.2022 के माध्यम से, निविदा में उल्लिखित एकल शुल्क आवश्यकताओं के अनुसार एक संशोधित संलग्नक वाई प्रदान किया, साथ ही इसे केवल "लिपिकीय त्रुटि" मानने के लिए एक स्पष्टीकरण भी दिया।

16. निविदा बोलियां 04.05.2022 पर खोली गईं और तकनीकी उपयुक्तता मूल्यांकन की घोषणा 06.05.2022 को की गई। बेस्ट ने अपने दिनांकित 06.05.2022 को तकनीकी उपयुक्तता मूल्यांकन में टाटा मोटर्स को चार अन्य बोलीदाताओं के साथ "तकनीकी

रूप से गैर-उत्तरदायी" माना। टाटा मोटर की बोली को क्रमशः उसके संलग्नक एफ और संलग्नक वाई में परिचालन सीमा के संबंध में तकनीकी विचलन के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त रिपोर्ट में ईवीईवाई द्वारा दी गई बोली को "तकनीकी रूप से उत्तरदायी" माना गया था।

17. इसके बाद, 06.05.2022 को योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां खोली गईं, और ईवीईवाई को L1 बोलीदाता घोषित किया गया। टाटा मोटर्स की मूल्य बोली निविदा दस्तावेज की अनुसूची I (प्रस्ताव के लिए निमंत्रण) के क्रम संख्या 7 और अनुसूची II (निविदाकारों को परिभाषा और निर्देश) के क्रम संख्या 15 के अनुसार नहीं खोली गई थी। अनुसूची I का क्रम संख्या 7 निम्नानुसार है:

"7. निविदाकार/निविदाकार जो निविदाकार दस्तावेज की अनुसूची III में उल्लिखित अनिवार्य तकनीकी और वाणिज्यिक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, मात्र मूल्य बोलियों को खोलने के लिए पात्र होंगे।"

18. निविदा दस्तावेज की अनुसूची II (निविदाकारों के लिए परिभाषाएँ और निर्देश) की क्रमानुसार संख्या 15 निम्नानुसार है:

"15. बोलीदाता टीओटीओ में बिना शर्त बेस्ट की 'निविदा की शर्तें और आपूर्ति की शर्तें' प्रतिग्रहण करना करेंगे, जिसमें विफल रहने पर उनकी वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध है कि वे इद्वारा सावधानीपूर्वक देखें।"

19. बेस्ट द्वारा जारी तकनीकी उपयुक्तता मूल्यांकन से व्यथित होकर, जिसके द्वारा उसने टाटा मोटर्स की बोली को खारिज कर दिया था, टाटा मोटर्स ने डब्ल्यूपी (एल) संख्या 15548 की 2022 दिनांक 10.05.2022 वाली एक रिट याचिका के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। टाटा मोटर्स ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की:

"18. याचिकाकर्ता इसलिए प्रार्थना करते हैं कि यह माननीय न्यायालय इस पर मुदित हो सकता है:

a. सरशियोरेराई की प्रकृति का कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें ताकि मामले के रिकॉर्ड की मांग की जा सके और याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत बोली को "तकनीकी रूप से गैर-उत्तरदायी" घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिए गए निर्णय दिनांकित 06.05.2022 को निरस्त कर दिया जाए।

b. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अनिवार्य या किसी भी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में अनिवार्य या एक रिट जारी करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को निविदा के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत बोली पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए;

c. प्रार्थना के विकल्प में (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के परमादेश या परमादेश की प्रकृति का रिट या कोई उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को निविदा को रद्द करने और एक नई निविदा जारी करने का निर्देश देना;

d. याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1 को निविदा के अनुबंध देने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से रोकें;

e. उपरोक्त खंड (घ) में प्रार्थनाओं के संदर्भ में अंतरिम राहत;

f. वर्तमान याचिका की लागत; और

g. याचिकाकर्ता को मामले की प्रकृति अग्रेतर परिस्थितियों के रूप में ऐसी अग्रेतर अन्य राहत दी जा सकती है।"

20. उपरोक्त रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान बेस्ट ने दिनांकित 20.05.2022 के स्वीकृति पत्र के साथ ईवीईवाई के पक्ष में निविदा प्रदान की। ईवीईवाई ने तदनुसार 23.05.2022 पर आवश्यक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की। शहर में ड्राइवर के साथ सिंगल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसों के सार्वजनिक परिवहन के लिए स्टेज कैरिज सेवाओं के संचालन के लिए एक समझौता मुंबई और उसके विस्तारित उपनगरों को 12 वर्षों के लिए सकल अनुबंध लागत (जीसीसी) मॉडल पर ईवीईवाई और बेस्ट के बीच 26.05.2022 पर दर्ज किया गया था।

21. ईवीईवाई द्वारा एक सब्सिडी बैंक गारंटी दिनांक 02.06.2022 को प्रस्तुत की गई थी और बेस्ट ने 10.06.2022 पर सब्सिडी के लिए ईवीईवाई के खाते में आवश्यक राशि जारी की थी। ईवीईवाई ने बेस्ट को 04.07.2022 और 05.07.2022 के बीच 8 बसें भी प्रदान कीं।

22. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 के फैसले के माध्यम से यह विचार रखा कि "वास्तविक परिस्थितियों" में एक बार चार्ज करने पर संचालन सीमा 200 किलोमीटर से अधिक होने की आवश्यकता स्पष्ट थी। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने टाटा मोटर्स की अयोग्यता को बरकरार रखा और एक योग्य बोलीदाता के रूप में माने

जाने के उनके दावे को खारिज कर दिया क्योंकि वे निविदा की तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के क्रमशः पैराग्राफ 9 और 13 में इस प्रकार टिप्पणी की:

"9. उपरोक्त को पढ़ते हुए, यह स्पष्ट है कि निविदा दस्तावेज में प्रदान की गई संचालन सीमा यह है कि विद्युत वाहन निर्माताओं को ऐसे वाहन प्रदान करने होते हैं जो प्रासंगिक जीवीडब्ल्यू वातानुकूलन के लिए वास्तविक परिस्थितियों में एसडी वातानुकूलन बसों के लिए एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चल सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निविदा दस्तावेज की पहली आवश्यकता यह है कि पेश किए गए विद्युत वाहन को बिना किसी रुकावट के 80 प्रतिशत एसओसी के साथ वास्तविक परिस्थितियों में सिंगल डेकर एयर कंडीशनिंग बस के लिए एक बार चार्ज करने पर 200 कि. मी. चलना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

13. याचिकाकर्ता संख्या 1 ने वास्तविक स्थिति में एकल चार्ज में 80 प्रतिशत एसओसी पर 200 किलोमीटर के लिए अपनी बोली प्रस्तुत नहीं की, लेकिन एआईएस 040 के अनुसार मानक परीक्षण स्थितियों पर। निविदा शर्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसे अनुबंध दिया जाता है यानी पट्टेदार एकल चार्ज में 80 प्रतिशत एसओसी पर 200 किलोमीटर की सीमा प्राप्त करने की शर्त का पालन नहीं करता है तो उसे उसी के लिए दंडित किया जाता है। इसका अर्थ है,

प्रतिवादी संख्या 1 इस बात से अवगत था कि एआईएस 040 के अनुसार मानक परीक्षण स्थितियां वास्तविक स्थिति से अलग हैं। याचिकाकर्ता की निविदा निश्चित रूप से उक्त खंड के अनुरूप नहीं थी। याचिकाकर्ता निविदा की सामग्री और पर्याप्त अवधि से विचलित हो गया है। याचिकाकर्ता, इस प्रकार, निविदा में निर्धारित सामग्री आवश्यकताओं से विचलित होने के लिए उचित रूप से अयोग्य है।"

(महेत्व दिया गया)

23. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रूप में निर्णय लेने के पश्चात इस बात पर चर्चा करने के लिए अग्रेतर बड़े कि ईवीईवाई की बोली को भी क्यों अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने ईवीईवाई के इस तर्क पर ध्यान दिया कि तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत संलग्नक वाई एक आकस्मिक दस्तावेज था, यद्यपि इस तरह के तर्क को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अनुसूची I के खंड 16 का उल्लेख करते हुए कहा कि एक बार बोली जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद, बोलीदाताओं द्वारा दस्तावेजों को जोड़ा/सुधार/प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सकता है। निविदा की अनुसूची I का खंड 16 नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"अनुसूची I
प्रस्ताव के लिए निमंत्रण

..

16.	इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस निविदा दस्तावेज के जवाब में अपना प्रस्ताव जमा करने से पहले इस निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। इस निविदा के जवाब में एक प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण करना इस दस्तावेज के नियमों, शर्तों और निहितार्थ की पूरी समझ के साथ सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण के पश्चात माना जाएगा। तकनीकी बोली खुलने के पश्चात कोई जोड़/सुधार, दस्तावेजों को प्रस्तुतीकरण की अनुमति नहीं होगी।
-----	--

24. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ईमेल दिनांकित 06.05.2022 पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, और उसी दिन जारी किए गए तकनीकी बोली मूल्यांकन ने बेस्ट के कार्यों में निष्पक्षता को नहीं दर्शाया। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 20-22 में क्रमशः निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"20. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 6 मई की सुबह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी पत्र ने 6 मई 2022 की दोपहर में प्रतिवादी संख्या 2 की बोली को उत्तरदायी रखने के निर्णय को प्रभावित नहीं किया। यही बात मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से साबित नहीं होती है। खंड-16, जैसा कि ऊपर विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से कहा गया है, तकनीकी बोली खोलने के पश्चात दस्तावेजों को जोड़ने/सुधार/प्रस्तुतीकरण पर प्रतिबंध लगाता है। तकनीकी बोलियां 4 मई 2022 को खोली गई हैं। इसके बाद इस तरह के किसी भी पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता था। समय की निकटता यानी 6 मई को सुबह 11.35 पर, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संशोधित अनुलग्नक-वाई के साथ जारी किया गया पत्र और दो घंटे के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 की बोली उत्तरदायी मानी गई, प्रतिवादी संख्या 1 के इस तर्क का समर्थन नहीं करती है कि उक्त संशोधित अनुलग्नक-वाई और 6 मई की सुबह लिखे गए पत्र ने प्रतिवादी संख्या 2 की बोली को उत्तरदायी नहीं ठहराया। सबसे पहले, 6 मई की सुबह ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से पत्र स्वीकार करना निविदा की विशिष्ट शर्तों (खंड 16) के विरुद्ध था। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 का मामला यह है कि 6 तारीख की सुबह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अग्रेषित संशोधित अनुलग्नक-वाई स्वतः संज्ञान में था अग्रेतर प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर नहीं, यहां प्रासंगिक

नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि तकनीकी बोलियां खुलने के दो दिन पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 को पत्र और संशोधित अनुलग्नक-वाई जमा करने की अनुमति दी गई थी। यह भी तथ्य है कि 28 अप्रैल को प्रतिवादी संख्या 2 ने बोली प्रस्तुत की थी और 2 मई को उसने संशोधित बोली प्रस्तुत की थी, यद्यपि उसी अनुलग्नक-वाई में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसके लिए एक घंटे के अवसर शुल्क की आवश्यकता होगी। यह निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं होगा।

21. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि - (i) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों में अनुलग्नक-वाई अर्थात् ओईएम के वचन में विचलन था जिसमें कहा गया था कि 200 किलोमीटर की परिचालन सीमा प्राप्त करने के लिए एक घंटे के चार्जिंग समय की आवश्यकता होगी। और (ii) प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रस्तुत किया 6 मई की सुबह यानी तकनीकी बोलियां खुलने के दो दिन बाद और 6 मई की सुबह संशोधित अनुलग्नक-वाई की स्वीकृति के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 की तकनीकी बोली उसी दिन दोपहर में स्वीकार कर ली गई।

22. उपरोक्त कार्रवाई में निष्पक्ष खेल को चित्रित नहीं करता है। तथ्य इस बारे में संदेह पैदा करते हैं कि क्या निर्णय निष्पक्ष था या निर्णय निष्पक्ष रूप से लिया गया था? प्रतिवादी संख्या 2 की बोली को उत्तरदायी स्वीकार करते समय ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता है।"

(महेत्व दिया गया)

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने ईवीईवाई को भी एक असफल बोलीदाता घोषित करना उचित समझा। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 23 और 24 में

क्रमशः निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"23. हम जानते हैं कि समानता और प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त एक दूरी पर रहता है और मूल्यांकन में त्रुटि के मामले में कोई न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। यद्यपि अगर निर्णय ईमानदारी से लिया गया है तो भी यही बात सही है। हम यह भी जानते हैं कि न्यायालय के हस्तक्षेप से कुछ विलम्ब हो सकता है। यह देखा जाएगा कि पहले भी निविदाएं जारी की गई थीं। हालाँकि, सब्सिडी को मंजूरी न मिलने के कारण, पहले की निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया यद्यपि नई निविदा प्रक्रिया जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की बोली स्वीकार करने के लिए, उसे प्रोटोटाइप वाहन प्राप्त करने के लिए 90 दिनों का समय प्रदान किया जाता है। उक्त अवधि समाप्त नहीं हुई है। एक महीना भी नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 की निविदा स्वीकार की जाती है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी। उसी में कार्रवाई में निष्पक्ष खेल की कमी थी और मनमाने ढंग से, कदम उठाना होगा।

24. उपरोक्त के आलोक में, हम प्रतिवादी संख्या 2 की निविदा की स्वीकृति के प्रतिवादीओं के निर्णय को निरस्त कर देते हैं। प्रतिवादी संख्या 1, यदि वह चाहता है तो एक नई निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकता है।"

(महत्व दिया गया)

26. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, तीनों पक्ष अपनी-अपनी याचिकाओं के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हैं।

27. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान और सब्सिडी गारंटी जमा करने के पश्चात ईवीईवाई ने पहले ही 04.07.2022 से 05.07.2022 के बीच कुल 8 बसों की आपूर्ति कर दी थी। यद्यपि इस न्यायालय ने दिनांक 14.07.2022 को एक अंतरिम आदेश द्वारा जहां तक Evey का संबंध है, विवादित फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। इस न्यायालय ने कहा कि ईवीईवाई द्वारा बसों की आपूर्ति, यदि कोई हो, इन याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगी और ईवीईवाई बाद के चरण में किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेगा।

ईवीईवाई की ओर से प्रस्तुतियाँ

28. ईवीईवाई की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने डब्ल्यू बी राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य ने (2001) 2 एस. सी. सी. 451 इस मामले में न्यायालय ने फैसले पर पूरा अवलम्ब जताया। यह प्रस्तुत करने के लिए सूचित विद्वान कि बोली लगाने वाले को न्यायसंगत राहत दी जा सकती है जहां उसने बोली में तथ्य की भौतिक गलती की है और उस गलती का पता चलने पर उसने तुरंत कार्रवाई की है और अपनी गलती को सुधार लिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निविदा की अनुसूची I का खंड 16 संलग्नक Y जैसे दस्तावेज पर लागू नहीं होगा, जिसे मूल रूप से बोली के मूल्यांकन के पश्चात "सफल बोलीदाता"

द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि, मूल संलग्नक Y में भी, जैसा कि 02.05.2022 पर प्रस्तुत किया गया था, उनके मुवक्किल ने उल्लेख किया था कि, "ये प्रस्तावित बसें बिना किसी रुकावट के उल्लिखित न्यूनतम किलोमीटर से ऊपर चलेंगी।"

29. उन्होंने प्रस्तुत किया कि, संलग्नक एफ निर्दिष्ट करता है कि "यदि इसमें निर्दिष्ट परिवर्तन, बेस्ट की आवश्यकताओं/विनिर्देशों के विपरीत पाए जाते हैं तो ऐसी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा" और इसलिए, बोलीदाता को अनिवार्य रूप से संलग्नक एफ में उल्लिखित विनिर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा बोली को "तकनीकी रूप से गैर-उत्तरदायी" माना जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संलग्नक एफ को निविदा की एक आवश्यक शर्त के रूप में सही कहा जा सकता है। उन्होंने कन्हैया लाल अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में (2002) 6 एससीसी 315 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से अवलम्ब करते हुए कहा कि क्या कोई शर्त आवश्यक है, या संपार्श्विक है, इसका पता उसके गैर-अनुपालन के परिणाम के संदर्भ से लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि आवश्यकता को पूरा न करने के परिणामस्वरूप निविदा को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो यह निविदा का एक आवश्यक हिस्सा होगा अन्यथा यह मात्र एक संपार्श्विक अवधि है। उन्होंने अग्रेतर कहा कि, संलग्नक Y में उल्लिखित शर्तों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और यदि मामला बार-बार होता रहता है, तो इससे अनुबंध समाप्त हो सकता है और इसलिए, संलग्नक Y को निविदा की संपार्श्विक अवधि के रूप

में माना जाना चाहिए। खंड 5.1.1 के तहत निविदा दस्तावेज संलग्नक वाई की अनुसूची II (बोलीदाताओं के लिए परिभाषाएं और निर्देश) की बोली दस्तावेजों के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसे "सफल बोलीदाता" द्वारा प्रस्तुत किया जाना था।

30. उन्होंने प्रस्तुत किया कि मैं *एन. जी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम विनोद कुमार जैन और अन्य रिपोर्ट (2022) 6 एससीसी 127* में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, रिट अदालत को नियोक्ता के निर्णय पर अपना निर्णय लागू करने से बचना चाहिए कि क्या एक निविदाकार की बोली प्रतिग्रहण करना की जाए और सार्वजनिक सेवा के अनुबंध में हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। निविदा में निषेधाज्ञा या हस्तक्षेप से राज्य पर अतिरिक्त लागत आती है और यह जनहित के विरुद्ध भी है।

31. उन्होंने प्रस्तुत किया कि टाटा मोटर्स द्वारा इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं कि ईवीईवाई के अलावा, दो और पक्ष थे जो तकनीकी रूप से योग्य थे और एल 2 और एल 3 थे।, स्विच करें क्रमशः मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ईवीईवाई को एल1 घोषित किया गया था और उसके पश्चात के चरण में मूल्य बोलियां खोलने के पश्चात ही निविदा प्रदान की गई थी, जो लापरवाही और आधारहीन मात्रा है ।

32. इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम में आई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य ने (1999) 1 एससीसी 492 और

एसएस एंड कंपनी बनाम ओरिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2008) 5 एससीसी 772 में रिपोर्ट की, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार उच्च न्यायालय ने टाटा मोटर्स को तकनीकी रूप से गैर-अनुपालन पाया, तो उसे एक असफल पक्ष के कहने पर निविदा प्रक्रिया को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। तकनीकी मूल्यांकन के विरुद्ध मे रिट याचिका दायर की गई थी, जबकि अनुबंध, अब प्रदर्शन के स्तर पर अच्छी तरह से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर तकनीकी मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने से अनुबंध निरर्थक हो जाएगा और सरकारी खजाने को नुकसान होगा।

33. अंत में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अब तक ईवीईवाई ने 20 दर्जी बसों की आपूर्ति की है और इन बसों के लिए नागरिक बुनियातिथि ढांचा भी स्थापित किया है।

"टाटा मोटर्स" की ओर से प्रस्तुतियाँ

34. टाटा मोटर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर देकर कहा कि बेस्ट द्वारा ईवीईवाई को दिया विद्वान अनुबंध *अपने आप* में अवैध है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि और तकनीकी बोली खोलने की तिथि समाप्त होने के पश्चात ईवीईवाई के संशोधित संलग्नक वाई की स्वीकृति निविदा शर्तों के विपरीत है। निविदा की अनुसूची I (प्रस्ताव के लिए निमंत्रण) का खंड 16 तकनीकी बोली खुलने के पश्चात दस्तावेज को जोड़ने, सुधारने या प्रस्तुतीकरण पर रोक लगती है। हालाँकि, इसका पालन नहीं किया गया यद्यपि बोली

लगाने वाले को अनुमति दी गई बाद के चरण में सही त्रुटियों से बोलीदाताओं के साथ असमान व्यवहार हो सकता है। इस न्यायालय के निर्णय पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन बनाम गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स और अन्य (1991) 3 एससीसी 273 (पैरा 6) में रिपोर्ट किए गए मामले में डब्ल्यू. बी. राज्य विद्युत बोर्ड (उपर्युक्त) (पैरा 27 और 28) पर उपरोक्त विवाद की पुष्टि करने के लिए भरोसा किया गया था।

35. उन्होंने प्रस्तुत किया कि बेस्ट के कार्यों को मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित कहा जा सकता है और उनके मुवक्किल को इसे चुनौती देने का अधिकार है क्योंकि दुर्भावना से दूषित निविदा प्रक्रियाओं को कोई वैधता नहीं दी जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम आयुक्त, उल्हासनगर नगर निगम और अन्य, (2000) 5 एससीसी 287 (पैरा 10 और 14); मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और एक अन्य, (2009) 6 एस. सी. सी. 171 (पैरा 27, 28, 45 और 76); मां बिंदा एक्सप्रेस कैरियर और एक अन्य बनाम उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे और अन्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 760 (पैरा 8, 9 और 12) में प्रस्तुतीकरणकरण को मजबूत करने के लिए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा विद्यमान है ।

36. उन्होंने तर्क दिया कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 19 में उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि बैटरी रेंज की गारंटी मात्र ओईएम द्वारा दी जा सकती है जिससे बोली लगाने वाला बैटरी खरीद रहा है, और ऐसी परिस्थितियों में, इसे आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है। इसे बेस्ट द्वारा तकनीकी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना

गया था।

37. उन्होंने जोर देकर कहा कि संलग्नक वाई बोली दस्तावेज का एक हिस्सा था और एक बार प्रस्तुतीकरण के पश्चात बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि यानी 02.05.2022 के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह तर्क कि संलग्नक वाई वैकल्पिक था और बोली प्रस्तुतीकरण के समय इसकी आवश्यकता नहीं थी, यह एक बाद का विचार है, और यह तथ्य का प्रश्न है या तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, पहली बार विशेष अनुमति याचिका में नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया जगन्नाथ बेहरा & अन्य बनाम राजा हरिहर सिंह मर्दराज भामरबार राँय, 1958 में एस. सी. आर. 1067 (पैरा 17 और 19); करणपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम राजा कामाक्ष्या नारायण सिंह आदि, 1956 में एससीआर 325 (पैरा 24) में रिपोर्ट किए गए; वसंतकुमार राधाकिसन वोरा बनाम बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल, (1991) 1 एस. सी. सी. 761 (पैरा 24) में रिपोर्ट किए गए; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (2009) 10 एस. सी. सी. 63 (पैरा 32 और 34) में रिपोर्ट किए गए।

38. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का यह कहना उचित था कि वर्तमान मामले में एक नई निविदा की आवश्यकता है, विशेष रूप से मनमाने ढंग से निविदा प्रक्रिया और निविदा से निर्धारित समय सीमा के अनुसार बसों की आपूर्ति में विलम्ब को देखते हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक नई निविदा सार्वजनिक हित में होगी क्योंकि निविदा से निर्धारित ईवीईवाई द्वारा वितरण समय सीमा को भंग किया गया

है। यह भी कहा गया है की 1030 बसों की कमी अभी तक है। बेस्ट विलम्ब के लिए ईवीईवाई के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने में विफल रहा है, और वही दर्शाता है कि दोनों अनुबंधित पक्षों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की है। नई निविदा अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य बोलियों के लिए अनुमति देगी और समाप्ति की स्थिति में बेस्ट पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होगा, क्योंकि निविदा में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) को जब्त करने और प्रदर्शन गारंटी को भुनाने का प्रावधान है।

39. अंतिम में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत विद्वान कि उच्च न्यायालय ने अपने मुवक्किल की अयोग्यता को एकमात्र आधार पर बरकरार रखते हुए कहा कि उसने 'एआईएस 040 के अनुसार मानक परीक्षण स्थितियों' में संचालन सीमा की गारंटी देते हुए एक त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया था कि टाटा मोटर्स ने आवश्यक शर्तों का पालन किया था और निविदा के कुछ प्रस्ताव की अनुमति थी।

" बेस्ट " की ओर से प्रस्तुतियाँ

40. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने बेस्ट की ओर से प्रस्तुत करते हुए कहा कि निविदा दस्तावेज में तकनीकी बोली के चरण में एक योग्य बोलीदाता के रूप में घोषित किए जाने के लिए अनिवार्य पात्रता शर्तों का प्रावधान किया गया था, और उक्त पात्रता शर्तों को उप-खंड (iv) में निर्धारित किया गया था और (V) खंड 5.1.1 का क्रमशः निविदा दस्तावेज का।

41. उन्होंने अग्रेतर कहा कि खंड 5.1.1 (v), तकनीकी बोली चरण में बोलीदाता के रूप

में अर्हता प्राप्त करने के लिए संलग्नक एफ का प्रावधान एक अनिवार्य शर्त थी।
 अनिवार्य आवश्यकता निम्नानुसार है:

5. 1 .1.	प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए: बोली 1: तकनीकी प्रस्तुतियाँ, जिनमें शामिल होंगे: i) गारंटीकृत प्रदर्शन की अनुसूची और अन्य तकनीकी विवरण जैसा कि अनुबंध-ए में निर्धारित प्रारूप में दिखाया गया है, जिसे निविदा दस्तावेज में शामिल किया गया है (एक प्रमुख सदस्य के संघ के मामले में), ii) संलग्नक सी में बोलीदाता के प्रदर्शन की अनुसूची (किसी भी सदस्य के संघ के अनुभव के मामले में), I iii) संलग्नक डी में चार्टर्ड एकाउंटेंट से न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार ("एमएएटी") के लिए प्रमाणन के लिए प्रारूप (प्रमुख सदस्य के लिए संघ के मामले में और एग्रीगेटर, नेटवर्थ प्रमाण पत्र या निवेश योग्य निधि प्रमाण पत्र के मामले में), IV) एग्रीगेटर को एक के बाद एक समझौता प्रस्तुत करना होता है
-----------------	---

	बसों के रखरखाव के लिए पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए ओईएम के साथ। एग्रीगेटर को ओईएम से निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र (यदि एग्रीगेटर एकमात्र बोलीदाता या प्रमुख बोलीदाता है तो ऐसा बोलीदाता निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र जमा करेगा) भी जमा करना होगा। v) संलग्नक एफ में तकनीकी विनिर्देशन से प्रस्थान की अनुसूची, vi) पंजीकरण प्रमाण और साख के साथ बोलीदाता का सामान्य विवरण (संघ के मामले में, इसे प्रमुख सदस्यों द्वारा प्रदान करने की आवश्यकता होगी) जैसा कि संलग्नक जी एंड एच में है, vii) संलग्नक I में बोली प्रतिभूति ईएम डी, viii) अनुलग्नक-एल (बोलीदाता का किसी भी भ्रष्ट या धोखाधड़ी वाले कदाचार में शामिल शामिल नहीं होना या भारत में या भारत के बाहर किसी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ काली सूची में नहीं होना) ix) कंसोर्टियम के मामले में, सदस्यों के बीच कंसोर्टियम समझौते का प्रारूप, जैसा कि संलग्नक एन में किया गया है x) प्रस्ताव वैधता अवधि बताते हुए संलग्नक क्यू के अनुसार कवर लेटर सह प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग, xi) प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (कंसोर्टियम के मामले में, इसे सभी सदस्यों द्वारा प्रदान करने की आवश्यकता होगी) जैसा कि संलग्नक आर में है।
--	---

42. उन्होंने प्रस्तुत किया कि टाटा मोटर्स ने उक्त संलग्नक एफ दाखिल करते समय अनिवार्य आवश्यकता से विचलन किया। उन्होंने संलग्नक के उस हिस्से पर प्रकाश डाला जिसमें कहा गया है कि यदि भिन्नताएं बेस्ट की आवश्यकताओं के विपरीत पाई जाती हैं तो ऐसी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। गैर-अनुपालन विचलन निम्नानुसार था:

"एआईएस 040 के अनुसार प्रमाणित एकल चार्ज में 80 प्रतिशत एसओसी की दर से 200 केएमएस की परिचालन सीमा की आवश्यकता को पूरा करेगा।"

43. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ईवीईवाई (सफल बोलीदाता) सहित कोई भी बोलीदाता इस अनिवार्य शर्त से विचलित नहीं हुआ है। इसलिए, टाटा मोटर्स को तकनीकी स्तर पर ही गैर-उत्तरदायी बोलीदाता घोषित किया गया था। 06.05.2022 पर, बेस्ट ने तकनीकी मूल्यांकन किया और निर्णय लिया कि सभी बोलीदाताओं को योग्य और उत्तरदायी पाया गया, ईवीईवाई ने सबसे कम दरों का हवाला दिया था और तदनुसार अनुबंध उसके पक्ष में दिया गया था।

44. विद्वान एसजी ने अग्रेतर प्रस्तुत कि की सफल बोलीदाता को संलग्नक वाई भरने की आवश्यकता थी, यद्यपि संलग्नक वाई न तो एक उत्तरदायी बोलीदाता होने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त थी और न ही अनुबंध देने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी।

45. ईवीईवाई ने अपनी गलती को सुधारते हुए बताया कि उसके द्वारा प्रस्तुत संलग्नक वाई को पिछली निविदा से कट-एंड-पेस्ट करने के पश्चात अनजाने में रखा गया था। ईवीईवाई ने निविदा के अनुसार सख्ती से एक संशोधित/नया संलग्नक वाई दाखिल किया।

46. विद्वान एसजी ने आवेगपूर्ण से कहा कि बेस्ट को एक नया निविदा नोटिस जारी करने के लिए कहना जनहित के विरुद्ध होगा। मई 2022 में ईवीईवाई को दिए गए अनुबंध में बेस्ट को रु. 46.81/KM ईवीईवाई को देना होगा। बेस्ट ने पुनः निविदा की संभावना की जांच की और पाया कि हाल के दिनों में, एक समान निविदा यह भारत सरकार के उपक्रम कन्वर्जेंसी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा जारी किया गया था। सीईएसएल द्वारा हाल ही में दिए गए अनुबंध के अनुसार, इसने वर्तमान दर से रु0 1,200 करोड़ रुपये अधिक जिस पर "बेस्ट" ने तत्काल अनुबंध प्रदान किया था। इसलिए, पुनः निविदा का विकल्प चुनना व्यावसायिक रूप से अविवेकी होगा।

विश्लेषण

47. पक्षों की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता वह मात्र: क्या उच्च न्यायालय ने निविदा से टाटा मोटर्स की अयोग्यता को बरकरार रखने के पश्चात यह पता लगाने के लिए अग्रेतर की कवायद शुरू करना उचित था कि क्या ईवीईवाई भी अयोग्य साबित हुई और बेस्ट अपने विवेकाधिकार से एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू

कर सकता है?

48. मूल अधिकार का संरक्षक होने के नाते यह न्यायालय तब हस्तक्षेप करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जब *मनमानेपन*, *तर्कहीनता*, दुर्भावना और पूर्वाग्रह हो। हालाँकि, इस न्यायालय ने बार-बार आगाह किया है कि न्यायालयों को संविदात्मक या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक समीक्षा यद्यपि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय बहुत अधिक संयम बरतना चाहिए। यह न्यायालय आम तौर पर संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से घृणा करता है जब *तक* कि मनमानेपन या दुर्भावना या पूर्वाग्रह या तर्कहीनता का एक स्पष्ट मामला नहीं बनाया जाता है। यह स्मरण चाहिए कि आज कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों निजी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। निजी पक्षों के बीच किए गए अनुबंध रिट क्षेत्राधिकार के जांच के अधीन नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो निकाय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य हैं, वे निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हैं और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन इस विवेकाधीन शक्ति का उपयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अदालतों को अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए और विनाश जो वाणिज्यिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप का कारण बन सकता है। तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में अदालतों को और भी अधिक अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि हम में से अधिकांश न्यायाधीशों में हमारे अधिकार क्षेत्र के बाद तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। अदालतों को निविदाओं को स्कैन करते समय आवर्धक कांच का उपयोग नहीं करना चाहिए और

हर छोटी सी गलती को एक बड़ी गलती की तरह दिखना चाहिए। वास्तव में, अदालतों को अनुबंध के मामलों में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को "संयुक्त रूप से निष्पक्ष भूमिका" देनी चाहिए। अदालतों को उस स्थिति में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहां इस तरह के हस्तक्षेप से सरकारी खजाने को अनावश्यक नुकसान हो रहा हो। (देखिए: सिलप्पी निर्माण ठेकेदार बनाम भारत संघ, (2020) 16 एससीसी 489)

49. यह विवाद में नहीं है कि निविदा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एकल डेकर बसों की निर्धारित संचालन सीमा थी जो बिना किसी रुकावट के 80 प्रतिशत एसओसी के साथ "वास्तविक परिस्थितियों" में एक बार चार्ज करने पर लगभग और औसतन 200 किलोमीटर तक चलेगी। तब अभिलेख पर सामग्री इंगित करेगी कि टाटा मोटर्स ने अपनी बोली में इस आवश्यकता से विचलन किया था और बेस्ट को सूचित किया था कि वह "मानक परीक्षण स्थितियों" में परिचालन सीमा को ले जा सकता है जो निविदा शर्तों के अनुसार नहीं था। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में ठीक ही कहा है कि टाटा मोटर्स की बोली उक्त खंड का पालन करने में विफल रही है। टाटा मोटर्स निविदा की सामग्री और आवश्यक अवधि से विचलित हो गया। इस स्तर पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मात्र टाटा मोटर्स ही है जो ऊपर उल्लिखित स्थिति से विचलित हुई है। हालाँकि, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने एक बार टाटा मोटर्स को "गैर-उत्तरदायी" घोषित कर दिया था यद्यपि निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित होने के बाद ईवीईवाई को योग्य बोलीदाता घोषित करने के बेस्ट के फैसले की जांच के मैदान में नहीं आना चाहिए था। हम

ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय जनहित में अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा था। उच्च न्यायालय ने अपने अधिकारों का दावा करने की कोशिश कर रहे एक पक्ष द्वारा दायर याचिका पर गौर किया। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है *रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर)*, एक पक्ष के कहने पर न्यायिक राहत का अनुदान जो आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, कुछ ऐसा है जिसे गलत कहा जा सकता है। *रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड (ऊपर) में*, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"27. हालाँकि, वर्तमान मामले में, निविदा यद्यपि शर्तों से छूट में अनुमति थी। बोर्ड ने मेसर्स रौनाक इंटरनेशनल लिमिटेड को जो छूट दी है, वह निविदा देने वाले की विशेषज्ञता और उसके पिछले अनुभव को देखते हुए वैध सिद्धांतों पर है, हालांकि यह निर्धारित मानदंडों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अधिक प्रासंगिक बात यह है कि मेसर्स आई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिन्होंने स्वयं निविदा के इस पुरस्कार को चुनौती दी है, वे अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। उनके पास निर्धारित अनुभव योग्यता नहीं है। इसलिए, किसी पक्ष के कहने पर कोई भी न्यायिक राहत जो आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करती है, गलत प्रतीत होती है। भले ही मेसर्स रौनाक इंटरनेशनल लिमिटेड और मेसर्स आई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दोनों के लिए मानदंडों में ढील दी जा सकती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मेसर्स रौनाक इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रस्ताव कम है और इस आधार पर बोर्ड ने मेसर्स रौनाक इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हम यह देखने में विफल हैं कि एक ऐसे पक्ष के कहने पर निविदा के पुरस्कार पर कैसे रोक लगाई जा सकती है जो स्वयं आवश्यक

मानदंडों को पूरा नहीं करता है और जिसका प्रस्ताव स्वीकार किए गए प्रस्ताव से अधिक है। यह भी स्पष्ट है कि इस तरह से दिए गए अनुबंध के प्रदर्शन को रोकने से जनता को बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इस विवाद के कारण 210 मेगावाट की दो ताप विद्युत इकाइयों का निर्माण रुका हुआ है। सत्ता की कमी कुख्यात हो गई है। वे औद्योगिक विकास और बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। वर्तमान मामले में, परियोजना को रोकने में कोई भारी जनहित नहीं है। मेसर्स रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड को अनुबंध देने के लिए किसी भी दुर्भावना या संपार्थिक कारणों का कोई आरोप नहीं है।

(महेत्व दिया गया)

50. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि संलग्नक Y को मूल रूप से बोली के मूल्यांकन के पश्चात "सफल बोलीदाता" द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था और यह तकनीकी प्रस्तुतियों में शामिल किए जाने वाले दस्तावेजों और संलग्नकों की सूची में शामिल नहीं था, जैसा कि खंड 5.1.1 से प्रदान किया गया है। निविदा की अनुसूची II का इसके अग्रेतर निविदा दस्तावेजों में संलग्नक वाई के लिए प्रदान किए गए प्रारूप में इसके शीर्षक में कहा गया है कि "सफल बोलीदाता अपने पत्र शीर्ष पर एक वचन पत्र अपलोड करेंगे जो नीचे दिया गया है।" इसलिए, हमारा विचार है कि अनुसूची I के खंड 16 के दस्तावेजों के संशोधन पर प्रतिबंध, जिसमें कहा गया है, "तकनीकी बोली खोलने के पश्चात दस्तावेजों को जोड़ने/सुधार, प्रस्तुतीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी", मात्र तकनीकी बोली में शामिल किए जाने के लिए

आवश्यक दस्तावेजों तक ही सीमित है और ऐसे किसी भी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जो तकनीकी बोली का हिस्सा नहीं है।

51. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को ईवीईवाई को संशोधित संलग्नक वाई प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाली बीईएसटी की कार्रवाई को उलटने में थोड़ा धीमा और चौकस रहना चाहिए था। हमारा विचार है कि बीईएसटी ने ईवीईवाई को संशोधित संलग्नक वाई प्रस्तुत करने की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है या उसे पक्षपात आदि का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि पहले वाला एक लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत था। ईवीईवाई द्वारा दी गई पूरी बोली को गैरकानूनी या अवैध घोषित करने के लिए यह अभ्यास ही पर्याप्त नहीं था।

52. आम तौर पर एक रिट अदालत को नियोक्ता के निर्णय पर अपने निर्णय को लागू करने से बचना चाहिए कि एक निविदाकार की बोली को प्रतिग्रहण करना है या नहीं, जब तक कि कुछ बहुत ही स्थूल या स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया जाता है। न्यायालय को आम तौर पर निविदा या अनुबंध से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब अनुबंध अच्छी तरह से चल रहा हो, तो उस स्तर पर पूरी निविदा प्रक्रिया को समाप्त करना जनहित में नहीं होगा। इस स्तर पर एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने में बहुत समय लग सकता है और सरकारी खजाने को भी करोड़ों रुपये की राशि का नुकसान हो सकता है। यदि न्यायालय एक नया निविदा नोटिस जारी करने का निर्देश देता है तो राज्य को सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ/प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, यह उन मार्गदर्शक कारणों में से एक होना चाहिए जिन्हें

न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए। इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से स्पष्ट है होता है एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ और अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 679 में रिपोर्ट किए गए हैं ।

53. राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों द्वारा अनुबंध देने से संबंधित कानून की समीक्षा एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने (2000) 2 एससीसी 617 में रिपोर्ट किया और यह माना गया कि अनुबंध का पुरस्कार, चाहे वह किसी निजी पक्ष द्वारा हो या किसी राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है। यह किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपना तरीका चुन सकता है और यदि निविदा की शर्तें इस तरह की छूट की अनुमति देती हैं तो वह वास्तविक कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य, उसके निगमों, उपकरणों अग्रेतर एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तब भी न्यायालय को अनुच्छेद 226 से अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए और इसका उपयोग मात्र लोक हित को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि मात्र कानूनी मुद्दे को बनाने के लिए। आदेशमात्र तभी जब यह निष्कर्ष निकलता है कि भारी जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए।

54. जैसा कि इस न्यायालय ने जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य मामले में (2007) 14 एस. सी. सी. 517 में कहा है कि निविदाओं या अनुबंधों के पुरस्कार के

मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करते समय, कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निविदाओं का मूल्यांकन और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं और ऐसे मामलों में समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूर रहते हैं। यदि पुरस्कार से संबंधित निर्णय अनुबंध प्रामाणिक है और सार्वजनिक हित में है, अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करके हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही प्रक्रियात्मक विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या किसी निविदाकार के प्रति पूर्वाग्रह बनाया गया हो। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हित की रक्षा करने या संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए नहीं किया जाएगा।

55. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के उस हिस्से को निरस्थ करते हैं जिसके द्वारा ईवीईवाई की निविदा को प्रतिग्रहण करने के बेस्ट के निर्णय को निरस्थ कर दिया गया था और इसे एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए बेस्ट के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है।

56. टाटा मोटर्स द्वारा दायर अपील तदनुसार विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है। जबकि ईवीईवाई और बीईएसटी द्वारा दायर अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है।

57. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

58. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसी के अनुसार निपटाया जाता है।

.....सीजेआई। [डॉ. धनंजय वाई.
चंद्रचूड़]

.....जे. [पामिदिघंतम श्री
नरसिम्हा]

.....जे. [जे. बी. पारदीवाला]

नई दिल्ली;
19 मई, 2023

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
अनुवाद SUVAS टूल की सहायता से
किया गया है।

मोहित
24.08.2023